संख्या-15/2015/1949/86-2015-371/2005

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 मई, 2015

विषय- उपखनिजों के अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपखनिजों का खनन एवं परिवहन अत्यन्त संवेदनशील प्रकरण है। एक ओर इससे प्रदेश सरकार को बड़ी धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त होती है लेकिन अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग होने की स्थिति में राजस्व के नुकसान के साथ-साथ प्रशासन की छवि पर भी असर पड़ता है। आप अवगत है कि अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने तथा इसकी लगातार समीक्षा के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति शासनादेश संख्या-1732/86-2014-371/2005, दिनांक 13.06.2014 द्वारा गठित की गयी है। शासन एवं निदेशालय द्वारा समय-समय पर जिलों में तैनात खनन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन को भी अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के निर्देश दिये जाते रहे हैं फिर भी कई जिलों से लगातार अवैध परिवहन एवं लोडिंग की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

1- परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के एक्सल के अनुसार अनुमन्य लोड निर्धारित किया जाता है। रास्ते में वाहनों की जॉच के दौरान मौके पर प्रत्येक वाहन का वजन करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है इसलिए किसी वाहन में अनुमन्य सीमा से अधिक उपखनिज लदा है अथवा नहीं इसकी मौके पर जॉच के लिए सामान्य रूप में ट्रक के डाला के ऊपर दो पटरा लगाकर यदि खनिज लादा गया है तब यह सामान्य तौर पर अनुमन्य सीमा में होगा। यदि किसी भी वाहन में डाला के ऊपर लगाये गये दो पटरा से अधिक उपखनिज लदा है तो इसे ओवरलोडिंग मानते हुये उसके विरूद्ध उपखनिज (परिहार) नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

2- यह भी निर्णय लिया गया है कि वाहन के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही जिस पट्टाधारक के पट्टा क्षेत्र से ऐसे वाहन पर उपखनिज लादा गया हो उस पट्टाधारक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाय। ओवरलोडिंग वाहन यदि कहीं पकड़ा जाता है तथा रवन्ना से स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र दूसरे जिले में है तब इसकी सूचना सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी एवं खान अधिकारी को भेजकर पट्टाधारक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। यदि सम्भव हो सके तो मौके पर रवन्ना तथा सम्बन्धित गाड़ी के फोटो खींच लिये जाय ताकि पट्टाधारक के विरूद्ध कार्यवाही करते समय इस साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जा सके।

3- यदि कोई वाहन बिना रवन्ने के उपखनिज का परिवहन कर रहा है तो इसे सरकारी सम्पत्ति की चोरी मानते हुये उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर वाहन सीज कराया जाय। ऐसे वाहन से भी

http://shasanadesh.up.nic.in

ड्राइवर आदि का बयान लेकर यह ज्ञात किया जाय कि उसने बिना रवन्ना के किस पट्टा क्षेत्र से उपखनिज लादा है ताकि पट्टाधारक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

4- जिलाधिकारी द्वारा जिले के खान अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक पट्टाधारक को उपरोक्त आदेशों से अवगत करा दिया जाय। आदेश की प्रति पट्टाधारक को प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखी जाय ताकि भविष्य में ओवरलोडिंग करने वाले पट्टाधारक के विरूद्ध कार्यवाही में उसका प्रयोग किया जा सके।

5- जिला प्रशासन द्वारा ओवरलोडिंग वाले वाहनों की नियमित जॉच की जाय। उपरोक्त निर्देशों के बाद भी यदि वाहनों में ओवरलोडिंग पायी जाती है तब सम्बन्धित जिले के खान अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारी इसके लिये उत्तर दायी होंगे।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक- 1949/(1)/86/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों से सभी जिलों के खान अधिकारियों को तत्काल अवगत करा दिया जाय तथा निदेशालय स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा करके शासन को अवगत कराया जाय।

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in